

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जनवरी 2016—पौष 15, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. एफ 3-10-2008-एक-10.—सामान्य प्रशासन विभाग के समसंचयक अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर 2012 द्वारा डॉ. लक्ष्मण सिंह गौर (सेवानिवृत्त प्राचार्य) को 3 वर्ष की अवधि के लिए संभागीय सतर्कता समिति, सागर संभाग, सागर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके पालन में डॉ. गौर द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2012 को पदभार ग्रहण किया गया था।

2. मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक-37 सन् 1981) की धारा-13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा डॉ. लक्ष्मण सिंह गौर (सेवानिवृत्त प्राचार्य) को दिनांक 17 दिसम्बर 2015 से दिनांक 27 मई 2017 तक की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, सागर संभाग, सागर में सदस्य के पद पर पुनः नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव,